राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7 (4)अकाद / निकाशि / प्रवेश नीति / 2013 / 278 दिनांकः 03 अक्टूबर, 2013

सम्पादक,
राजस्थान पत्रिका,
जयपुर।

विषयः विज्ञप्ति प्रसारित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार आपके समाचार–पत्र के राजस्थान के अजमेर, झुन्झुनूं, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर तथा सीकर जिले के संस्करणों में दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 को न्यूनतम् स्पेस (9 X 11 वर्ग से.मी.) में राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का श्रम करें।

कृपया विज्ञप्ति का बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।

संलग्न– विज्ञप्ति प्रारूप।

भवदीय,

(डॉ. राजेश शुक्ला)
संयुक्त– निदेशक (अकादमी)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 7 (4)अकाद / निकाशि / प्रवेश नीति / 2013 / 278 दिनांकः 03 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संबंधित प्राचार्य। निदेशालय द्वारा जारी किये गये एकीकृत प्रवेश आवेदन–पत्र का उपयोग करते हुए प्रवेश संबंधित सम्पूर्ण कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
2. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. राजेश शुक्ला)
संयुक्त–निदेशक (अकादमी)

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

सूचना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा 2013–14 के तहत स्वीकृत किये गये नवीन **राजकीय महाविद्यालयों** यथा **राजकीय महाविद्यालय**, पुष्कर (अजमेर), गुढ़ा (झुन्झुनू), सांगोद (कोटा), आसीन्द (भीलवाड़ा), धारियाबाद (प्रतापगढ़), गुढामलानी (बाड़मेर) तथा **राजकीय कन्या महाविद्यालय**, सीकर में कला संकाय में प्रवेश आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं एवं प्रवेश प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

1. आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ – 05–10–2013 (शनिवार)
2. आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि – 09–10–2013(बुधवार)
3. अंतरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन – 10–10–2013 (गुरूवार) सायं 5 बजे तक एवं मूल प्रमाण–पत्रों की जॉच
4. अंतरिम प्रवेश सूची के अंतर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की तिथि – 11–10–2013 (शुक्रवार) एवं 12.10.2013 (शनिवार) सायं 5 बजे तक
5. नियमित शिक्षण प्रारम्भ तिथि– 14.10.2013 (सोमवार)

नोट–

1. पूर्व में अन्य महाविद्यालयों में अध्ययनरत् नियमित विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन करने पर प्रवेश दिया जावेगा एवं उनके द्वारा कक्षाओं में अर्जित की गयी उपस्थिति को प्रमाण प्रस्तुत करने पर नवीन महाविद्यालय की उपस्थिति में समायोजित किया जावेगा।
2. वर्तमान में किसी अन्य राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् नियमित विद्यार्थी द्वारा नवीन राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश/स्थानान्तरण लेने पर उसे प्रवेश हेतु शुल्क पुनः जमा नहीं कराना होगा।
3. प्रवेशार्थियों पर विशेष परिस्थितियों के अनुरूप जो भी नये नियम/परिपत्र हों, की पालना की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। इस विषय में कोई आपत्ति नहीं सुनी जायेगी।

(नवीन जैन)
निदेशक

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का महाविद्यालय के नियमित अध्ययनरत पात्र अभ्यर्थी लाभ उठावें